

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

संकल्प

राज्य के राजस्व संग्रहण में वाणिज्य-कर विभाग सबसे अग्रणी विभाग है। राज्य के राजस्व का लगभग 78 प्रतिशत कर संग्रहण का कार्य वाणिज्य कर विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग के इस कर संग्रहण में राज्य के व्यवसायियों/करदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के बड़े व्यवसायियों/करदाताओं को सम्मानित कर अन्य करदाताओं को भी अधिकाधिक कर भुगतान हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से वाणिज्य कर विभाग द्वारा "भामाशाह" के नाम से एक "भामाशाह सम्मान" योजना प्रारंभ की गयी, जिसमें राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाले बड़े करदाताओं को अंचल स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया जाता था। वर्ष 2013 में इस योजना में संशोधन करते हुए सम्मान पत्र के साथ-साथ नकद राशि भी दिये जाने की व्यवस्था की गयी।

2. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से राज्य में माल और सेवा कर अधिनियम प्रभावी है। इस अधिनियम के लागू होने के उपरान्त वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित कई अधिनियम इसमें समाहित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों के एक बड़े हिस्से का प्रशासन केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा किया जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सम्मान योजना में पूर्व से निर्धारित मानदंडों को पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. कंडिका-2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में "भामाशाह सम्मान योजना" में पूर्व के मानदंडों एवं शर्तों को पुनर्निधारित करते हुये निम्नलिखित मानदंड एवं शर्त निर्धारित किये जाते हैं:-

(क) इस योजना के पात्र बिहार राज्य में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन निबंधित सभी व्यवसायी होंगे, चाहे वे राज्य के क्षेत्राधिकार में निबंधित हो या केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में। इसके अतिरिक्त पेट्रोल, डीजल

[Handwritten Signature]
25/6/15

एवं एटीएफ के लिए लागू बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन निबंधित व्यवसायी भी इस योजना में शामिल होंगे।

(ख) इस योजना में निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयनित करदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं नकद राशि के माध्यम से "भामाशाह सम्मान" से सम्मानित किया जायेगा।

(ग) "भामाशाह सम्मान" तीन श्रेणियों में दिया जायेगा:—

(i) वैट के अंतर्गत निबंधित कॉरपोरेट (Corporate) श्रेणी के व्यवसायी। इसका चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा।

(ii) जीएसटी के अंतर्गत निबंधित कॉरपोरेट (Corporate) श्रेणी के करदाता। इसका चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा।

(iii) जीएसटी के अंतर्गत निबंधित नॉन-कॉरपोरेट (Non corporate) श्रेणी के करदाता। इसका चयन अंचलवार किया जायेगा।

(घ) चयन का मानदंड (Criteria)

(i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कॉरपोरेट (Corporate) श्रेणी के पूरे राज्य में अधिकतम 03 (तीन) ऐसे करदाता जिन्होंने संबंधित चयन वर्ष में पूरे राज्य में Cash के माध्यम से सर्वाधिक कर का भुगतान किया है।

(ii) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कॉरपोरेट (Corporate) श्रेणी के पूरे राज्य में अधिकतम 03 (तीन) करदाता जिन्होंने संबंधित चयन वर्ष में SGST Cash एवं IGST Settlement के माध्यम से सर्वाधिक कर भुगतान किया है।

(iii) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन नॉन-कॉरपोरेट (Non-corporate) श्रेणी के अंचलवार अधिकतम 03 (तीन) करदाता जिन्होंने संबंधित चयन वर्ष में SGST Cash एवं IGST Settlement के माध्यम से सर्वाधिक कर भुगतान किया है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत कॉरपोरेट (Corporate) श्रेणी से अभिप्राय वैसे करदाताओं/व्यवसायियों से होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013) के अधीन निबंधित हों। ऐसे सभी व्यवसायी/करदाता जो कॉरपोरेट (Corporate) श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें नॉन-कॉरपोरेट (Non-corporate) श्रेणी का व्यवसायी/करदाता माना जायेगा।

(ड.) सम्मान राशि

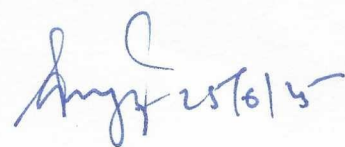
कॉरपोरेट (Corporate) श्रेणी में चयनित व्यवसायियों/करदाताओं में से प्रत्येक को सम्मान के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये की नकद राशि भी दी जायेगी। जबकि, नॉन-कॉरपोरेट (Non-corporate) श्रेणी के करदाताओं को सम्मान के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ प्रथम सर्वाधिक कर भुगतान करने वाले करदाता को रु० 51,000.00, द्वितीय सर्वाधिक कर भुगतान करने वाले करदाता को रु० 21,000.00 एवं तृतीय सर्वाधिक कर भुगतान करने वाले करदाता को रु० 11,000.00 नकद राशि दी जायेगी।

(च) “भामाशाह सम्मान” के लिए करदाताओं का चयन पोर्टल पर उपलब्ध उनके विवरणी (रिटर्न) तथा कार्यालयीय अभिलेख के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु व्यवसायी/करदाता को कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. यह सम्मान इन करदाताओं/व्यवसायियों को प्रदत्त नहीं होगा—

(i) जिन्होंने माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अथवा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन सभी अद्यतन विवरणिया एवं स्वीकृत कर भुगतान दाखिल/जमा नहीं किया हो;

(ii) जिनके विरुद्ध चयन वर्ष के अतिरिक्त उसके ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कोई कर/ब्याज/शास्ति/फाईन अधिरोपित किया गया हो एवं करदाता/व्यवसायी द्वारा पारित आदेश को



किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी हो परंतु न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को निरस्त अथवा पारित आदेश को संशोधित कर दिया गया हो;

(iii) जिनके विरुद्ध चयन वर्ष के अतिरिक्त उसके ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अथवा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन उनके व्यवसाय स्थल का निरीक्षण/तलाशी हुई हो एवं इस आधार पर उनके विरुद्ध वर्णित अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई के आधार पर कर-अपवंचना के आरोप प्रमाणित हो चुके हों या कार्रवाई प्रक्रियाधीन हो।

5. अन्य शर्तें –

(i) किसी एक श्रेणी में चयनित करदाता का चयन दूसरी श्रेणी के लिये नहीं किया जाएगा।

(ii) कॉरपोरेट एवं नॉन कॉरपोरेट श्रेणी के अंतर्गत सम्मान के चयन हेतु यदि सर्वाधिक कर भुगतान करने वाला कोई व्यवसायी/करदाता कंडिका-4 के तहत अनर्हित होता हो तो उनसे नीचे आने वाले अर्हताधारी व्यवसायी/करदाता का चयन किया जायेगा।

(iii) उक्त सम्मान के लिये किसी करदाता को चयनित/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार वाणिज्य-कर विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(संजय कुमार सिंह)

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- अनु० एवं वि०-04/2022 2581

पटना, दिनांक- 25/06/25

प्रतिलिपि: सभी राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०)/सभी अंचल प्रभारी एवं ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

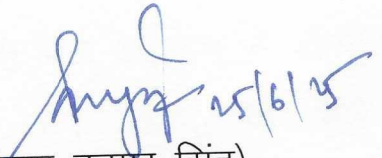
(संजय कुमार सिंह)

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- अनु० एवं वि०-04/2022 2581

पटना, दिनांक- 25/06/25

* प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग के आप्त सचिव/अध्यक्ष, बिहार
चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना-800001/अध्यक्ष, बिहार इन्डस्ट्रीज
एसोसियेशन, इन्डस्ट्री हाउस, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना-800001 को सूचनार्थ
प्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार, पटना।